



UPGK010038712026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

आपराधिक प्रकीर्णवाद सं०-485/2026

शेषनाथ गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक-11.06.2026

पेश हुआ। पुकार कराया गया।

पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दण्डिक प्रकीर्ण वाद पर बल न दिये जाने का अंकन किया गया है।

अतः प्रस्तुत दण्डिक प्रकीर्ण वाद, आवेदक की ओर से बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(राज कुमार सिंह)

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code-UP1889